रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3580] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 01, 2019/कार्तिक 10, 1941
No. 3580] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 01, 2019/ KARTIKA 10, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3974(अ).—एक प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3363(अ), तारीख 9 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 9 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाटों के अंतर्गत आने वाले तमिलनाडु के विरुधुनगर और मदुरई राजस्व जिलों के अक्षांश 09⁰ 23' 37.77" से 09⁰ 47' 48.74" उ और देशांतर 77⁰ 20' 24.68" से 77⁰ 47' 17.50" पू के बीच स्थित है। इस क्षेत्र को कुल क्षेत्र 476.65 वर्ग किलोमीटर के साथ जी.ओ. एमएस. 399 में पर्यावरण और वन (एफआर.वी) तारीख 26-12-1988 को अभयारण्य घोषित किया गया था, जिसमें श्रीविल्लीपुथुर में अभयारण्य मुख्यालय के साथ विरुधुनगर जिला के राजापलयाम और श्रीविल्लीपुथुर तालुक में रिजर्व वन और मदुरई जिला के पेराईयुर तालुक में सपतुर रिजर्व वन शामिल है;

और, श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता भू-दृश्य के दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यह पेरियार हाथी रिजर्व में हाथी संरक्षण कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण भू-दृश्य है। इस वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े हुए आसपास के संरक्षित क्षेत्रों और बृहत समीप वनों में लुप्तप्राय प्रजातियों की विविध विविधता जैसे ग्रिज़्लड गिलहरी, हाथी, बाघ, तेंदुआ, नीलगिरी ताहर, गौर, शेर पूंछ मैकक आदि हैं।

पर्यावास की विविधता दुर्लभ पौधों, अकेशरूकी, मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों की कई प्रजातियों का एक संग्रह है। श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानिक वनस्पति और जीवजन्तु की कई प्रजातियां हैं;

और, श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य में विभिन्न वन पर्यावास जैसे कंटीले वन, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, अर्ध सदाबहार, तटवर्ती वन, घासभूमि पर्यावास और सदाबहार वन पर्यावास शामिल हैं। अभयारण्य के पश्चिमी से पूर्वी भाग तक विभिन्न प्रकार के पर्यावास देखे जाते हैं। यहाँ पश्चिम से पूर्व में वर्षा ढाल है और वनस्पति में परिवर्तन वर्षा ढाल के परिणामस्वरूप माना जाता है। इस अभयारण्य का पूर्वी भाग पश्चिमी घाटों के वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में शुष्क कंटीले वन है और वनस्पति प्रकार धीरे-धीरे शुष्क कंटीले वन से मिश्रित आर्द्र वन में बदलती हैं;

और, अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तुओं की व्यापक विविधता है। वनस्पति के उदाहरण कुंडुमानी (*एब्रसप्रेसकेटोरियस एल.*), सिरुथुथी (*अबुटिलनक्रिस्पम (एल.) मेडिकस*), थुथि (*अबुतिलॉन इंडिकम* (लिंक) स्वीट.), कारी इंडू (*अकाकिया इन्ट्सिया डब्ल्यू एंड ए*), करुवेलम (*अकाकिया निलोटीका (एल.) वाइल्ड एक्स डीलाईट*), सिलावागाई (*अकाकिया सुंदरा*), एनकाई (इंदु) (*अकाकिया टोकटा*) आदि है। और जीवजन्तु के उदाहरण नीलगिरी तहर (*हेमित्रगसहीलोक्रियस*), *ग्रिज़्ल्ड जियंट गिलहरी* (*रतुफामैक्रौरा*), मालाबार जियंट गिलहरी (*रतुफाइंडिका*), एशियाई हाथी (*एलिफासमैक्सिमस*), गौर (*बॉसफ्रोंटालिस*), चितल (*एक्सिसएक्सिस*), सांबर (*सर्वसयूनिकोलर*), बार्किंग हिरण (*मुन्टिसकमुंटजैक*), माउस डियर (*मोस्कोलामेमिन्ना*), सियार (*कैनिसऑरियस*) आदि हैं;

और, एवियन विविधता व्यापक और विविध है, दिसंबर 2012 के दौरान पहले सर्वेक्षण में 61 परिवारों के पक्षियों की 220 प्रजातियों की पहचान की गई थी और मई 2015 के सर्वेक्षण के दौरान 27 प्रजातियों को जोड़ा गया था। विशिष्ट प्रजातियां दुर्लभ सिलोन फ्रॉगमाउथ हैं, अब तक केरल के कुछ भागों में थट्टेकड, यलो थ्रोटेड बुल बुल को अब तक पूर्वी घाट विशिष्ट, मालाबार ट्रोगन और भारतीय कुकू है, रैप्टरों की उन्नीस प्रजातियों का संभावित पर्यावास दर्शाता है, जो कि रूफुस बेलीड हॉक ईगल और माउंटेन हॉक ईगल को देखकर रेखांकित किया जाता है;

और, अभयारण्य में पक्षियों के कुछ उदाहरण जैसे ग्रे फ्रैंकोलिन (*फ्रैंकोलिनसपांडिसेरियनस*), जंगल बुश बटेर (*पेर्डिकुलाएशियाटिका*), रेड स्पुरफॉउल (*गैलोपर्डिक्सस्पैडिसिया*), ग्रे जंगलफॉउल (*गैलससोननेरती*), भारतीय मोर (*पावोक्रिस्टेटस*), लेसर व्हिस्लिंग टील (*डेंड्रोसायग्राजवानिका*), बार-हेड गुज़ (*एंसेरइंडिकस*), ब्राह्मिनी बत्तख (*ताडोर्नफेरुगिनिया*), स्पॉट-बिल बत्तख (*अनासबोसिलोरिंका*) आदि अभिलिखित हैं;

और, श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य में तितलियों की अत्यधिक संख्या है। यहां तितलियों का पाया जाना सामान्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और विशेष रूप से सूक्ष्म पर्यावास का सूचक है। श्रीविल्लीपुथुर वन्यजीव संभाग का इस पैमाने पर उच्च स्तर है क्योंकि हाल के अध्ययनों ने तितलियों की लगभग 190 प्रजातियों की खोज की है, जो तमिलनाडु में अभिलिखित संख्याओं में से आधे से अधिक है। इस अभयारण्य में कॉमन ब्लू बॉट्टल (*ग्राफ़ियमसरपेडोन*), सामान्य जय (*ग्राफियम डसोन*), टेल्ड जय (*ग्राफियम एग्मेमॉन*), सॉट स्वोरडटेल (*ग्राफ़ियमनोमियस*), सामान्य माइम (*पैपिलीओक्लिटिया*), सामान्य मॉर्मन (*पैपिलीओ पॉलीट्स*) आदि तितलियां पाई जाती हैं;

और, अभयारण्य से लगभग 90 सरीसृपों प्रजातियां सूचीबद्ध की गई हैं। यहां पायथन, सैण्ड बोआ, कुकरी, कैट स्नेक, वाइन स्नेक आदि जैसे जहर-रहित, और सांप कोपरा, सांप, करैत आदि जहरीली सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं। अभयारण्य में भारत के स्थानिक और संकटापन्न प्रजातियों में स्टार टोरटोइस पाया जाता है। केरल राज्य की सीमा के निकट देवीर क्षेत्र से ऊपर अत्यधिक लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों में *यूजीनिया डिस्फेफेरा* अभिलिखित की गई है। अभयारण्य में विद्यमान असुरक्षित प्रजातियों में *बेगोनिया अल्बो-कोकेनिया हुक, कमेलिना इंडेस्किन्सई. बार्न्स, इक्सोरामॉन्टिकोला गैबल, क्लोरोक्साइलॉनस्विटिनियाडीसी.* और *पेट्रोकार्पसमर्सुपियमरोक्सब* आदि शामिल हैं;

और, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले अधिकांश ग्रामों में आवासीय क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संवेदी जोन से ध्यानपूर्वक अपवर्जित किया जाता है। हालांकि, जनजातीय ग्रामों (शेनबागाथोप्पु, अय्यानारकोयल, अथिकोयल, विनोबानगर, थानीपराई और मोक्काथानपराई) के आवासीय क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत स्थित हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कुल जनसंख्या 608 है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में रहने वाले लोगों के लिए पशु पालन, कुक्कुट पालन जैसे कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोत हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य के श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य **किलोमीटर**

(अंतरराज्यीय सीमा के कारण) से 6.2 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य किलोमीटर (अंतरराज्यीय सीमा के कारण) से 6.2 किलोमीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र **305.86 वर्ग किलोमीटर** है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करने वाले संरक्षित क्षेत्र के मानचित्र **उपाबंध–II क-ङ** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू निर्देशांक की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क और ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के उनके भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग;

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी। योजना को मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा;

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बने नियम, 2000 ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) और उसके संशोधनों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.**- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव

(संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें से जो भी निकट है,

		नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें से जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए उप-विधियों के अनुसार, अपनी भूमि में भवन संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची: (ख) परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) ये एक किलोमीटर क्षेत्र से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप, जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से विनियमित और निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

1.	जिला कलेक्टर, विरुधुनगर	अध्यक्ष;
2.	राजस्व प्रभागीय अधिकारी, शिवकाशी	सदस्य;
3.	जिला राजस्व अधिकारी, विरुधुनगर	सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
6.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
7.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	वन्यजीव वार्डन, श्रीविल्लीपुथुर	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

IndiaCode

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/10/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा मदुरई जिला के मालापुरम भाग में मालापुरम-मयीलादमपराई सड़क से उत्तरी भाग में आरंभ होती है, इसके बाद यह पूर्वी दिशा की ओर मुड़ती है और करीनकुली ओदई-वलुक्कुपराई ओदई जोड़ पहुँचती है; इसके बाद यह दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर और मनालुथु ओदई जोड़ पहुँचती है; इसके बाद पूर्वी दिशा में मुड़कर और एथनामलाई राजस्व करादु के पश्चिम अंत को छूती है; इसके बाद एथनामलाई की सीमा के साथ मुड़कर एथनामलाई के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद दक्षिणी दिशा की ओर मुड़कर और अनाईक्कराईपट्टी टैंक के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है; इसके उसी की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर और कुम्बमलाई के उत्तर पश्चिम कोण पहुँचती है इसके बाद उस छोटी पहाड़ी की उत्तरी सीमा के साथ मुड़ती है इसके बाद पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर सपतुर टैंक के उत्तर पश्चिम कोण पहुँचती है इसके बाद सपतुर टैंक की सीमा के साथ मुड़कर और टैंक के दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद यह उत्तर पूर्व दिशा कि ओर मुड़कर और सेमपट्टी टैंक के दक्षिण अंत पहुँचती है इसके बाद यह उसी सीमा के साथ मुड़कर और उसी टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है और पूर्वी भाग के उसी टैंक से सीमा के साथ मुड़ती है और कनावई में सपतुर पेराईयुर सड़क पहुँचती है।
उत्तर पूर्व	इसके अतिरिक्त, दक्षिण की ओर मुड़कर और चिन्नापुलमपट्टी टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़ती है और सड़क पुनः सपतुर-पेराईयुर सड़क को छूती है और इसके बाद दक्षिण दिशा में मुड़कर और पेराईयुर के निकट मनमलाई पहुँचती है; इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम दिशा मुड़कर और गोवरीमलाई के पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद अंतर जिला सीमा को पार करके उसी दिशा में मुड़ती है और लांदाईकुलम टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है।

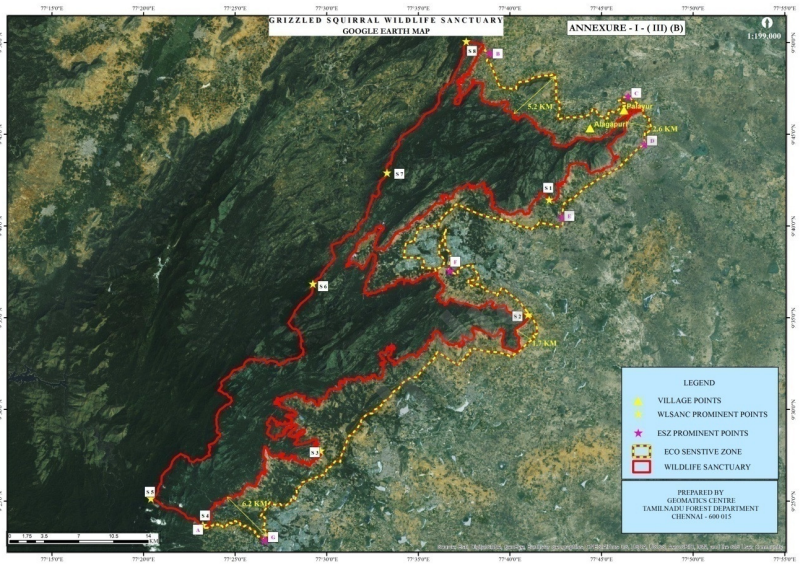
IndiaCode

पूर्व	इसके बाद उसी टैंक की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण दिशा में मुड़कर और उसी टैंक के दक्षिण पश्चिम कोण पहुँचती है। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और कृष्णापुरम के निकट राजस्व करादु के पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद राजस्व करादु के दक्षिण पश्चिम भाग के साथ मुड़कर और इसके बाद पश्चिम दिशा में मुड़ती है और उसी राजस्व करादु के दक्षिण पश्चिम अंत पहुँचती है इसके बाद पश्चिम दिशा में मुड़कर और नेदुनकुट्टम के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद उसी की पश्चिमी सीमा के साथ मुड़ती है और कुट्टम के दक्षिण अंत पहुँचती है; इसके बाद पूर्वी दिशा में मुड़कर और कुनावन्दरी टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद उस टैंक की सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है इसके अतिरिक्त उस टैंक के दक्षिण पश्चिम कोण पहुँच कर पूर्व में उस टैंक के साथ मुड़ती है इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर थनराईकुलम टैंक के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है। इसके बाद पूर्वी दिशा में मुड़कर सीवानेरी टैंक के उत्तर पश्चिम अंत पहुँचती है; उत्तर और पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर उस टैंक के दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है। यह पूर्वी दिशा में जाकर और विरागासमीथरम टैंक के दक्षिण अंत पहुँचती है। इसके बाद टैंक की पश्चिमी सीमा के साथ मुड़कर और टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर उस टैंक के दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है और इसके बाद पूर्वी दिशा में मुड़कर अरहकापुरम टैंक के उत्तर पश्चिम अंत पहुँचती है इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर और अय्यपकुलम टैंक के उत्तर पश्चिम कोण पहुँचती है इसके बाद टैंक की उत्तर पूर्व सीमा के साथ जाती है इसके बाद टैंक दक्षिण अंत पहुँचती है; इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़कर अर्चनापुरम टैंक के दक्षिण अंत पहुँचती है। इसके बाद दक्षिणी दिशा की ओर मुड़कर पुदुपट्टी-खन्सापुरम सड़क पहुँचती है और उदईपट्टी आवासीय क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है इसके बाद पुदुपट्टी-शेसापुरम सड़क के साथ मुड़कर और शेसापुरम पहुँचती है इसके बाद शेसापुरम आवासीय क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के साथ मुड़ती है इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और कृष्णाकोयल-वट्रेप सड़क पहुँचती है और उसी सड़क के साथ मुड़कर यह सड़क के साथ अभयारण्य सीमा को छूती है इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा और सिरुमलाई के उत्तर पूर्व अंत में मुड़ती है इसके बाद सिरुमलाई की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर उस छोटी पहाड़ी के दक्षिण अंत पहुँचती है; इसके बाद कृष्णकोयल-श्रीविल्लीपुथुर सड़क जोड़ को छूती है।
दक्षिण पूर्व	इसके बाद उसी सड़क के साथ मुड़कर यह पिल्लाईयारनाथम सड़क पहुँचती है और इसके बाद पिल्लाईयारनाथम सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और पिल्लाईयारनाथम आवासीय क्षेत्र के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद वेल्लामादाथु टैंक के दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद उसी टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर और थिरुवन्नामलाई राजस्व करादु के उत्तर पूर्व कोण पहुँचती है इसके बाद उस करादु की पूर्व सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है और इसके अतिरिक्त थिरुवन्नामलाई टैंक की पूर्व सीमा के साथ दक्षिण दिशा में मुड़ती है उस टैंक के दक्षिण अंत पहुँचती है; इसके बाद पश्चिम दिशा मुड़कर और स्थित छोटी पहाड़ी के उत्तर पूर्व अंत और कोलाईकरन पराई के पूर्व भाग पहुँचती है इसके बाद उस छोटी पहाड़ी की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर उसके दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है; इसके बाद दक्षिणी दिशा की ओर मुड़कर और कुट्टाथट्टी राजस्व करादु के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है उस करादु की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर और मरावनकुलम टैंक के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद पूर्व और दक्षिण पूर्व सीमा के साथ मुड़कर इसके बाद वलाईकुलम रिजर्व वन के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद रिजर्व वन की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर इसके अतिरिक्त दक्षिण की ओर मुड़कर सप्पनीपराम्बु रिजर्व वन के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद सप्पनीपराम्बु रिजर्व वन की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर और उस रिजर्व वन के दक्षिण पूर्व वन पहुँचती है इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाकर और चिन्ना पुलपथी पराम्बु के निकट टैंक के उत्तर पूर्व कोण पहुँचती है इसके बाद टैंक और समीपवर्ती टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़ती है और समीपवर्ती टैंक के दक्षिण अंत पहुँचती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर परीवदीयर टैंक के उत्तरी अंत पहुँचती है इसके बाद इस टैंक और सिलामबनेरी टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर और उसी टैंक की दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है; इसके बाद दक्षिण दिशा में मुड़कर और देवादानम टैंक के उत्तर पश्चिम अंत पहुँचती है।
दक्षिण	इसके बाद उस टैंक की उत्तर पूर्व सीमा के साथ और देवादानम सस्थाकोयल सड़क को पार करके मुड़ती है इसके बाद टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़क इसके अतिरिक्त उस टैंक की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम सीमा के साथ जाती है इसके बाद देवअईर नदी को छूती है जो कि अंतर जिला सीमा भी है इसके बाद उसी नदी के साथ पूर्व दिशा की ओर मुड़कर यह अभयारण्य के दक्षिण पूर्व अंत को छूती है।

दक्षिण पश्चिम	शून्य
पश्चिम	शून्य
उत्तर पश्चिम	शून्य

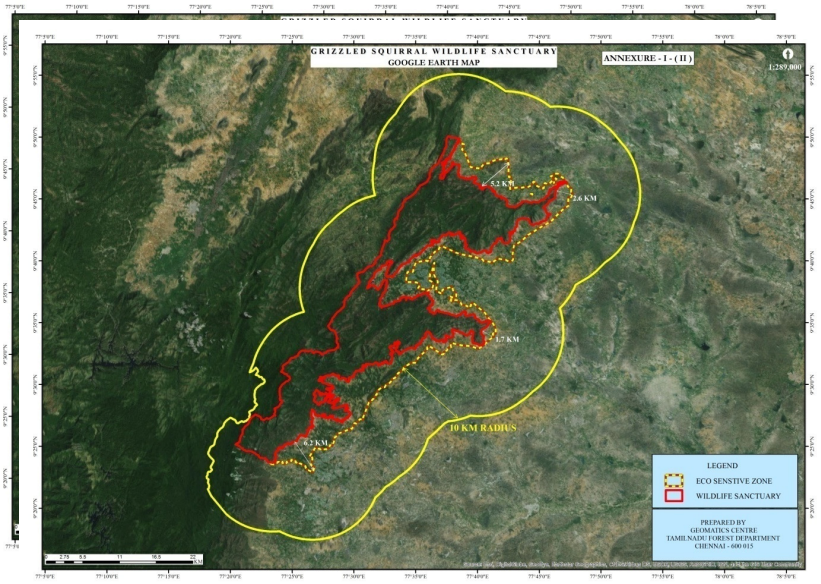
उपाबंध- IIक

श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



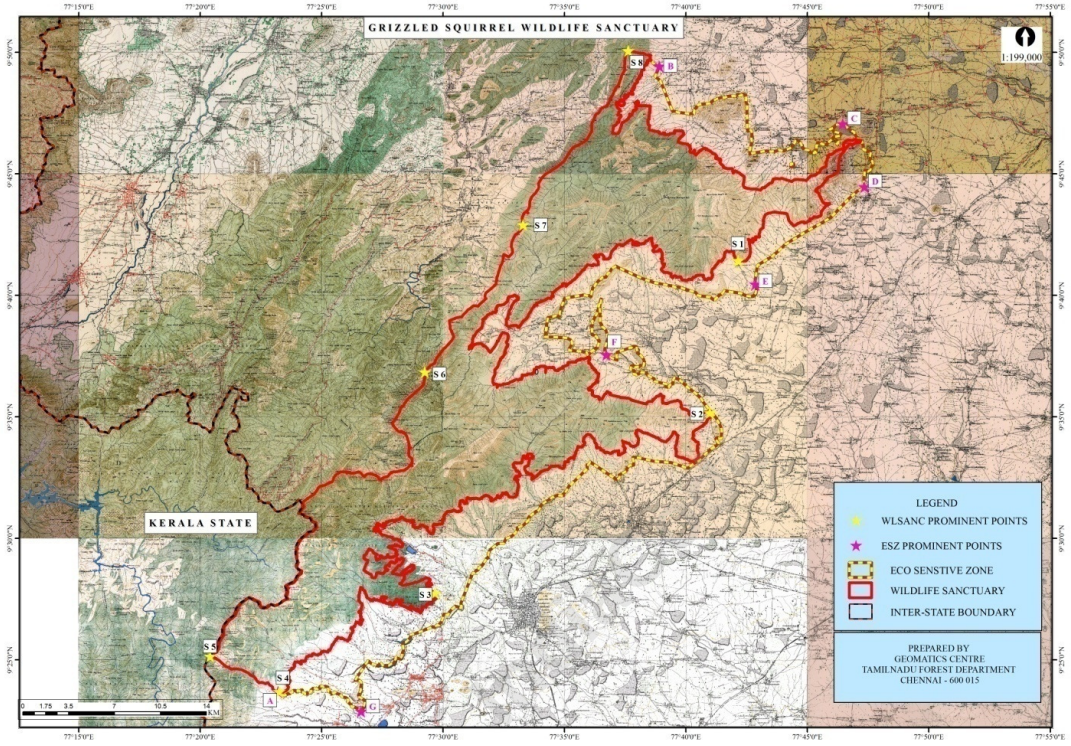
उपाबंध- IIख

श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



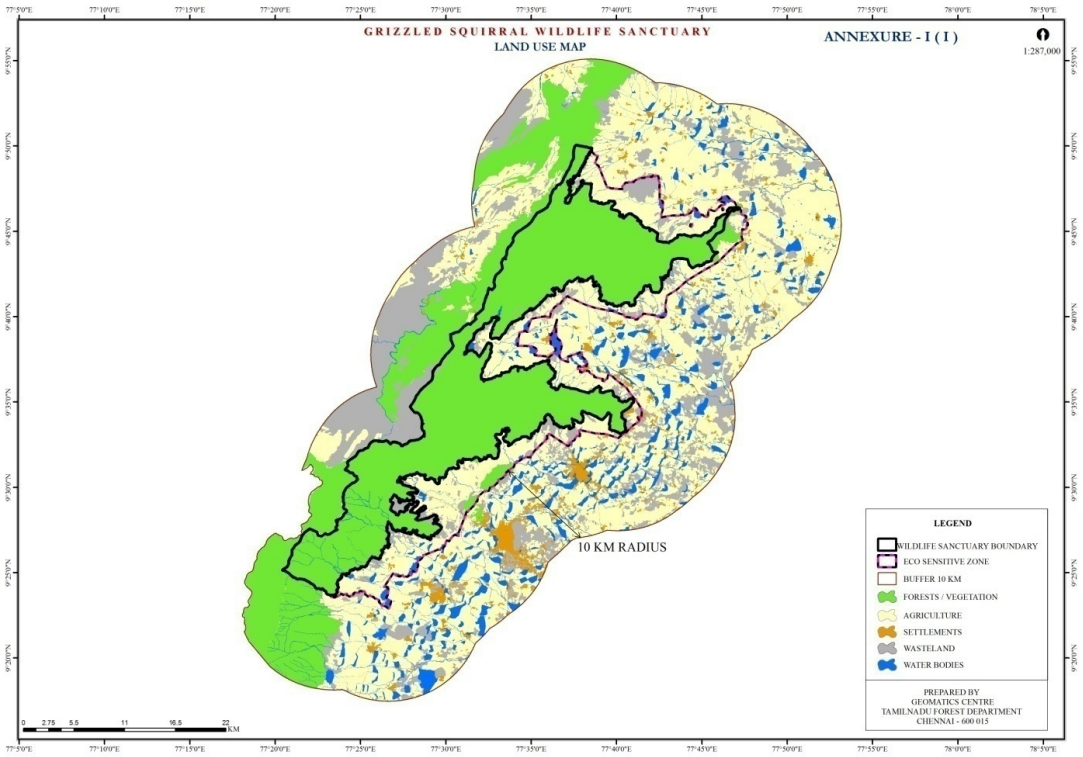
उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



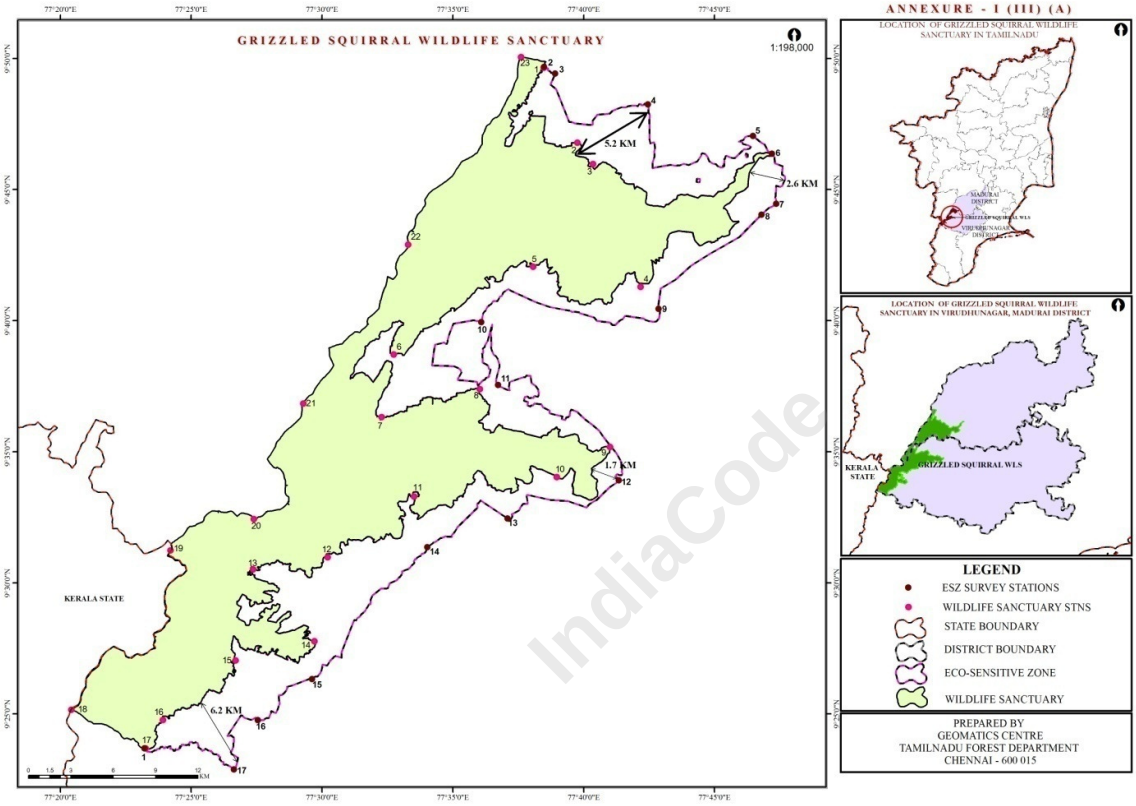
उपाबंध- IIघ

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



उपाबंध- IIङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु के मुख्य स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	पिछले बिंदु से दूरी	बियरिंगस
1	मल्लापुरम सड़क प्रवेश	उत्तर	09⁰ 49’ 43.18”	77⁰ 38’ 18.37”		
2	वालाथोपु (मुनेश्वरन पुली)	उत्तर	09⁰ 46’ 47.39”	77⁰ 39’ 45.25”	5.98	153.69 द पू
3	केनी प्रवेश	उत्तर	09⁰ 46’ 58.14”	77⁰ 40’ 21.40”	1.86	142.42 द पू
4	तालैमालायान कोइल	उत्तर पूर्व	09⁰ 41’ 17.16”	77⁰ 42’ 10.37”	9.17	159.65 द पू
5	थानिपराय प्रवेश	उत्तर पूर्व	09⁰ 42’ 3.20”	77⁰ 38’ 3.84”	7.67	281.23 प
6	किलवान कोइल	पूर्व	09⁰ 38’ 42.29”	77⁰ 32’ 44.23”	11.39	237.38 प
7	करुप्पासमी कोइल	पूर्व	09⁰ 36’ 19.30”	77⁰ 32’ 16.48”	4.44	190.87 S
8	कलमानदपम	पूर्व	09⁰ 37’ 23.20”	77⁰ 36’ 1.62”	7.09	73.19 उ पू
9	मुनियानदीकोइल	पूर्व	09⁰ 35’ 10.79”	77⁰ 41’ 0.46”	9.88	114.67 द पू
10	रेंगरकोइल वाटरहोल	दक्षिण पूर्व	09⁰ 34’ 2.03”	77⁰ 38’ 58.31”	4.11	239.31 द प
11	अलगरकोईल प्रवेश	दक्षिण पूर्व	09⁰ 33’ 17.42”	77⁰ 33’ 31.14”	10.08	261.76 प
12	कल्लार नदी	दक्षिण पूर्व	09⁰ 30’ 58.46”	77⁰ 30’ 12.60”	7.42	235.30 द प

13	अय्यानारकोइल प्रवेश	दक्षिण पूर्व	09⁰ 30' 30.85"	77⁰ 27' 21.64"	5.20	261.05 प
14	थोटीचैम्मन कोइल	दक्षिण पूर्व	09⁰ 27' 35.94"	77⁰ 29' 42.54"	6.45	139.49 द पू
15	पिरावदीयार नदी	दक्षिण पूर्व	09⁰ 27' 1.98"	77⁰ 26' 41.75"	5.56	256.88द प
16	ससथोकोइविल सड़क प्रवेश	दक्षिण	09⁰ 24' 45.90"	77⁰ 23' 54.70"	6.48	230.7 द प
17	देवीयार	दक्षिण	09⁰ 23' 40.67"	77⁰ 23' 15.29"	2.24	210.01 द प
18	देवीर एस्टेट के ऊपर अंतरराज्यीय सीमा	पश्चिम	09⁰ 25' 9.08"	77⁰ 20' 24.83"	5.65	296.73 उ प
19	कोट्टामालाई शिखर	पश्चिम	09⁰ 31' 14.05"	77⁰ 24' 12.49"	12.90	32.56उ
20	कम्बाथुमोट्टई	पश्चिम	09⁰ 32' 25.76"	77⁰ 27' 23.36"	6.07	68.02 उ पू
21	थोप्पीमलाई	पश्चिम	09⁰ 36' 50.29"	77⁰ 29' 16.62"	8.61	23.01 उ
22	पंचानथांगी	पश्चिम	09⁰ 42' 53.82"	77⁰ 33' 17.14"	13.0	32.57उ
23	सिरंगिकल	उत्तर पश्चिम	09⁰ 50' 2.98"	77⁰ 37' 36.08"	15.04	30.48 उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	पिछले बिंदु से दूरी	बियरिंगस
1	मल्लापुरम माईलुदुमराई सड़क	उत्तर	09⁰ 49' 40.67"	77⁰ 38' 29.10"		
2	करुनकुली ओदई वलुकुपराई ओदई जोड़	उत्तर	09⁰ 49' 25.75"	77⁰ 38' 54.69"	0.90	120.54 द पू
3	ऐथानामलाई उत्तर अंत	उत्तर	09⁰ 48' 15.27"	77⁰ 42' 27.25"	6.8	108.54 द पू
4	अथिपट्टी कनमाई उत्तर अंत	उत्तर	09⁰ 47' 3.00"	77⁰ 46' 28.07"	7.74	106.32 द पू
5	सपतुर-पेरियुर सड़क कनावई	उत्तर पूर्व	09⁰ 46' 22.10"	77⁰ 47' 11.94"	1.81	133.0 द पू
6	मनमलाई पेरियुर के निकट	उत्तर पूर्व	09⁰ 44' 27.74"	77⁰ 47' 21.44"	3.5	175.68 द
7	गोवरीमलाई पश्चिम अंत	उत्तर पूर्व	09⁰ 44' 2.64"	77⁰ 46' 47.72"	1.29	234.28 द प
8	लांदाईकुलम टैंक उत्तर अंत	उत्तर पूर्व	09⁰ 40' 27.02"	77⁰ 42' 51.65"	9.68	227.67 द प
9	नेदुनकुट्टुम दक्षिण पश्चिम अंत	उत्तर पूर्व	09⁰ 39' 56.81"	77⁰ 36' 5.28"	12.42	266.08 प
10	विरागासामुथिराम टैंक पूर्व अंत	उत्तर पूर्व	09⁰ 37' 33.11"	77⁰ 36' 43.44"	4.62	164.71 द प
11	कृष्णाकोयल जंक्शन	उत्तर पूर्व	09⁰ 33' 54.75"	77⁰ 41' 20.42"	10.61	128.30 द पू
12	थिरुवनामलाई दक्षिण अंत	पूर्व	09⁰ 32' 27.27"	77⁰ 37' 5.33"	8.18	251.33 द प
13	वलाईकुलम उत्तर अंत	दक्षिण	09⁰ 31' 21.85"	77⁰ 34' 1.42"	5.81	250.37 द प

Indiacode

14	सुनदराजापुरम टैंक दक्षिण अंत	दक्षिण	09⁰ 26' 26.07"	77⁰ 29' 36.70"	12.29	220.57 द प
15	पिरावादियार टैंक दक्षिण पश्चिम अंत	दक्षिण	09⁰ 24' 45.88"	77⁰ 27' 32.42"	4.72	232.27 द प
16	देवदानम टैंक दक्षिण अंत	दक्षिण	09⁰ 22' 52.90"	77⁰ 26' 37.86"	3.75	203.69 द प
17	देवियर रिजर्व वन (जोड़) सीमा	दक्षिण	09⁰ 23' 41.42"	77⁰ 23' 12.81"	6.39	283.73 उ प

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील/तालुक	जिला	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	माल्लापुरम	पेरियुर	मदुरई	09 82 54	77 64 24
2	अय्यामपट्टी	पेरियुर	मदुरई	09 80 37	77 63 25
3	थुल्लुकुट्टीनाकियनुर	पेरियुर	मदुरई	09 78 65	77 66 25
4	विट्टालपट्टी	पेरियुर	मदुरई	09 77 34	77 67 95
5	वनदारी	पेरियुर	मदुरई	09 76 47	77 69 85
6	नगाईयापुरम	पेराईयुर	मदुरई	09.76 63	77.73 20
7	सपतुर	पेराईयुर	मदुरई	09.76 82	77.73 81
8	परईपट्टी	पेराईयुर	मदुरई	09.70 90	77.77 12
9	एस. कीलापट्टी	पेराईयुर	मदुरई	09.69 92	77.76 12
10	संथाईयुर	पेराईयुर	मदुरई	09.70 20	77.75 19
11	अयारथारमाम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.67 49	77.73 26
12	एलानथाईकुलम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.66 21	77.70 77
13	कोट्टाईयुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.64 96	77.70 23
14	थामबीपट्टी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.65 85	77.66 80
15	महाराजापुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.65 66	77.66 37
16	एस. कोदीकुलम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.64 70	77.58 64
17	खानसापुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.62 81	77.60 38
18	वट्रेप	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.63 52	77.64 15
19	डब्लयू. पुदुपट्टी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.61 50	77.63 82
20	सुनदरापंदियम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.61 20	77.67 55
21	पूवानी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.53 96	77.67 47
22	पिल्लाईयारनाथम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.54 96	77.65 90
23	थेईवेनथीरी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.54 18	77.55 99
24	मामसापुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 52 56	77 56 16
25	वलाईकुलम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 51 72	77 52 13
26	वद्दुकुवेनगनाल्लुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 50 14	77 47 65
27	थेरुक्कुवेनगनाल्लुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 50 40	77 46 64
28	थिरुचुलुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 48 90	77 47 09
29	सम्मानथापुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 48 44	77 48 82
30	सोलाईसेरी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 44 84	77 49 36

IndiaCode

31	सुनदराजाजौराम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 43 33	77 47 30
32	सैथुर मेट्टुपट्टी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 41 71	77 44 07
33	मुथुसामयीपुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 41 03	77 43 78
34	उत्तर देवदानम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 30 42	77 43 59
35	दक्षिण देवदानम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 39 67	77 43 41
36	कोविलुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 39 15	77 43 36

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O. 3974(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3363(E) dated the 9TH July, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 9thJuly, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

WHEREAS, the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary lies in the Western Ghats falling in the revenue districts of Virudhunagar and Madurai of Tamil Nadu between 09^0 23' 37.77" to 09^0 47' 48.74" N latitude and between 77^0 20' 24.68" to 77^0 47' 17.50" E longitude. The area was declared as a sanctuary in G.O. Ms. 399 Environment and Forests (FR.V) dated. 26-12-1988 with a total area of 476.65 Sq km**,** consisting Reserved Forests in Rajapalayam and Srivilliputhur Taluk of Viruhudnagar District and Saptur R.F in Peraiyur Taluk of Madurai District with the sanctuary headquarters at Srivilliputhur.

AND WHEAREAS, the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary is the meeting place of two distinct geographical regions of bio diversity landscape Western Ghats of Tamilnadu and Kerala. It is an important landscape for elephant conservation programme in Periyar Elephant Reserve. Owing to its large contiguous forests and connectivity with adjoining protected areas, this wildlife sanctuary has wide varieties of endangered species such as Grizzled Squirrel, Elephant, Tiger, Leopard, NilgiriTahr, Gaur, Lion Tailed Macaque etc,. The diversity of habitat has got an assemblage of several species of rare plants, invertebrates, fishes, amphibians, and reptiles. Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary has also got several species of endemic flora and fauna.

AND WHEAREAS, the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary consists of various forest habitats like thorn forest, moist deciduous, dry deciduous, Semi evergreen, riverine forest, Grassland habitat and evergreen forest habitat. A wide variety of habitats can be seen from western to eastern part of the sanctuary. There is a rainfall gradient from west to east and the change in vegetation is believed to be as result of rainfall gradient. The eastern part of this sanctuary falls in the rain shadow region of Western Ghats. This region has got dry thorn forest and the vegetation type gradually changes from dry thorn forest to mixed moist forests.

AND WHEAREAS, the sanctuary has wide variety of flora and fauna. Examples of flora are Kundumani (*Abrusprecatorius* L.), Siruthuthi (*Abutilon crispum* (L.) Medikus), Thuthi (*Abutilon indicum*(Link) Sweet.), Kari indu (*Acacia intsia* W & A), Karuvelam (*Acacia nilotica*(L.) Wild. ex Delile),Silavagai (*Acacia Sundra),* Enkai (Indu) (*Acacia torta)* etc. and example of fauna are Nilgiritahr*(Hemitragushylocrius),* Grizzled Giant squirrel *(Ratufamacroura),* Malabar giant squirrel *(Ratufaindica),* Asian elephant *(Elephasmaximus),* Gaur *(Bos frontalis),* Chital *(Axis axis),* Sambar *(Cervus unicolor),* Barking deer *(Muntiacusmuntjak),* Mouse deer *(Moschiolameminna),* Jackal *(Canis aureus)* etc.

AND WHEAREAS, the avian diversity is wide and varied, around 220 species of birds of 61 families were identified in the first survey during December 2012 and 27 species were added during the survey of May 2015. The notable speices are the rare Ceylon frogmouth, hitherto considered to be present only in parts of Kerala like Thattekad, Yellow throated bull bull hitherto considered to be eastern ghats specific, Malabar trogon and Indian cukoo, Nineteen species of raptors indicating the potential of the habitat which has been underlined by sighting of Rufuous bellied hawk eagle and Mountain hawk eagle.

AND WHEAREAS, some example of birds recorded in the sanctuary areGrey Francolin *(Francolinuspondicerianus),* Jungle Bush Quail *(Perdiculaasiatica),*Red Spurfowl*(Galloperdixspadicea),* Grey Junglefowl*(Gallus sonneratii),* Indian Peafowl *(Pavocristatus),* Lesser Whistling Teal *(Dendrocygnajavanica),* Bar-headed Goose *(Anserindicus),*Brahminy Duck *(Tadornaferruginea),* Spot-billed Duck *(Anasboacilorhyncha)* etc.

AND WHEAREAS, the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary is home to an amazing number of Butterflies. The presence of Butterflies is a bio-indicator of the health of the ecosystem in general and the micro-habitat in particular. Srivilliputhur Wildlife Division scores high on this scale as recent studies have unearthed about 190 species of Butterflies, which is more than half of the numbers recorded in Tamil Nadu. Examples of Butterflies areCommon Blue bottle *(Graphiumsarpedon),* Common jay *(Graphiumdoson),* Tailed jay *(Graphium Agamemnon),* sot swordtail *(Graphiumnomius),* Common mime *(Papilioclytia),* Common mormon*(Papiliopolytes)*etc.

AND WHEAREAS, about 90 Reptiles species are enlisted from the sanctuary. Non venomous like Python, Sand boa, Kukri, cat snake, vine snake etc., and Venomous snakes Copra, Viper, Krait are reported. The endemic to India and threatened species of Star Tortoise are present at Sanctuary. *Eugeniadiscifera* is a highly endangered tree species is recorded above the Deviar estate adjoining the Kerala State boundary. Examples of vulnerable species present in sanctuary include *Begonia albo-coccinea*Hook, *Commelinaindehiscens*E. Barnes, *Ixoramonticola*Gamble, *Chloroxylonswietenia* DC. and*Pterocarpus marsupium*Roxb etc.

AND WHEAREAS,in most of the villages which falls in eco sensitive zone, residential areas are carefully excluded from eco sensitive zone. However the residential areas of tribal hamlets (Shenbagathoppu, Ayyanarkoil, Athikoil, Vinobanagar, Thaniparai and Mokkathanparai) are located within Eco sensitive zone. The total population in Eco sensitive zone is 608. Agriculture and allied activities such as live stock rearing, poultry are the major sources of economy for the people living in the proposed Eco sensitive zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero **kilometres (due to Inter-state boundary) to 6.2 kilometres** around the boundary of Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zerokilometers (due to Inter-state boundary) to 6.2 kilometers around the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is **305.86square kilometres**.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E.**

(4)List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III in Table (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panjayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways;

(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

IndiaCode

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up

by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3)Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural Heritage.-**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution.-**Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the

inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio-medical waste management shall be as under:

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution. -** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-**(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. **Prohibited Activities**		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining(minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumalpadvz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road.

		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any. (d) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following namely:-

1.	The District Collector, Virdhunagar	Chairman
2.	Revenue Divisional Officer, Sivakasi	Member
3.	District Revenue officer, Virdhunagar	Member
4.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member
5.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member
6.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member
7.	A representative from State Public Works Department	Member
8.	Wildlife Warden, Srivilliputhur	Member Secretary

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2)The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3)The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4)The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are

falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5)The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6)The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7)The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in **Annexure V**.

(8)The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7.The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/10/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE- I

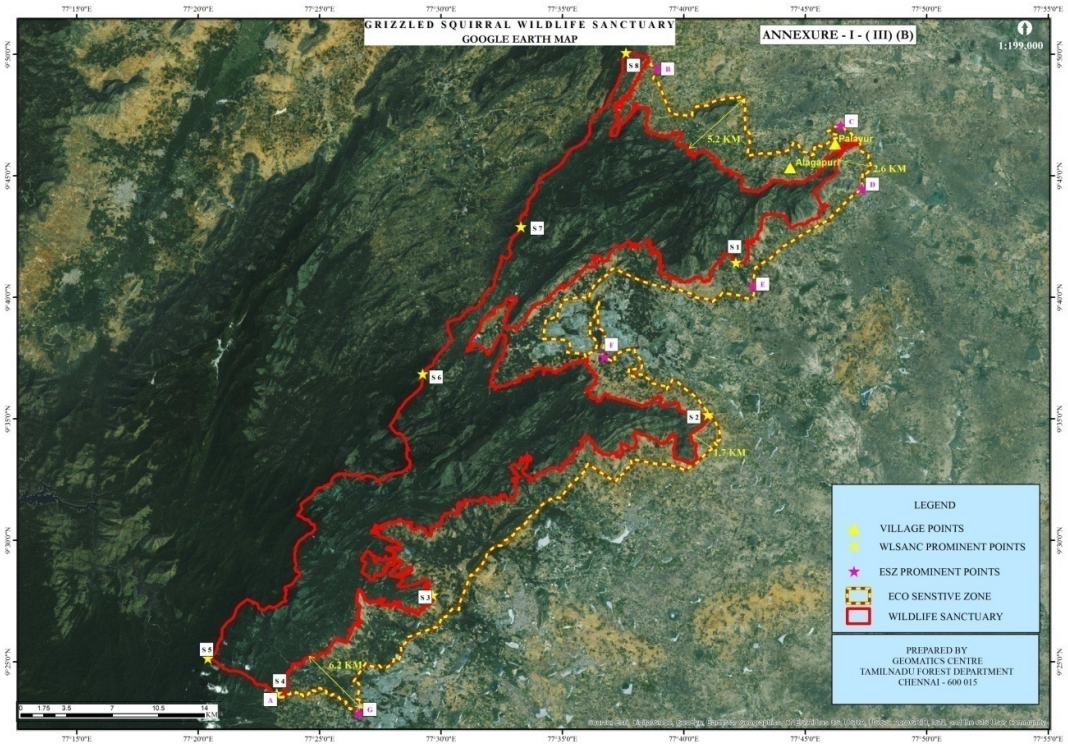
BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	The Eco sensitive zone boundary for Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary in the northern side starts from Mallapuram - Mayiladumparai Road in Mallapuram side of Madurai District, then it moves eastern direction and reaches Karunkuliodai – Valukkuparaiodai joint; then it moves southern and south eastern direction and reaches Manaluthuodai joint; then move in eastern direction and touches west end of the Ethnamalai Revenue karadu; then move along the boundary of the Ethnamalai reaches north end of the Ethnamalai then move towards southern direction and reaches north east end of the Anaikkaraipatti tank; then move along the eastern boundary of the same and move further reaches north west corner of Kumbamalai then move along the north boundary of same hillock then move towards eastern direction reaches north west corner of the Saptur tank then move along the boundary of the Saptur tank and reaches south east end of the tank then it move towards north east direction and reaches south end of the Sempatti tank then it move along boundary of the same and reaches north end of same tank and move along the boudndary from the same tank of the east side and reaches SapturPeraiyur road at Kanavai.
North East	Further then move towards south and reaches north end of Chinnapulampatti tank them move along eastern boundary of the tank and touches the saptur – Peraiyur road again road and then move in south direction and reaches Manmalai near Peraiyur; further move in south west direction and reaches east end of the Gowrimalai then move further in same direction crosses inter district boundary and reaches north end of the Ilandaikulam tank.
East	Then further move in south direction along east boundary of the same tank and reaches south west corner of the same tank. Then the move towards west direction and reaches east end of the revenue karadu near Krishnapuram then move along the south west side of the revenue karadu and then further move in the west direction and reaches south west end of the same revnuekaradu then move west direction and reaches the north end of the Nedunkuttam then move along western boundary of

	the same and reaches south end of the kuttam; then move in eastern direction and reaches north end of Kunavandri tank then move towards south direction along the boundary of the same tank further amove along the same tank in east reaches south west corner of the same tank then move towards south dirction reaches the north east end of Thamaraikulam tank. Then move easten direction reaches north west end of the Seevaneri tank; Move along the north and eastern boundary reaches south east end of the same tank. It run in eastern direction and reaches south end of the Viragasamithram tank. Then move along western boundary of the tank and reaches north end of the tank then further move along the eastern boundary reaches the southeast end of the same tank and then move in eastern direction reaches north west end of the Arhcapuram tank then move north east direction and reaches as north west corner of the Ayyarkulam tank then run along north east boundary of the tank then reaches south end of the tank; then move towards east direction reaches south end of the Archanapuram tank. Then move towards southern direction reaches Pudupatti – Khnsapuram road and run along the southern boundary of the Udaipatti residential area then move along the Pudupatti –Shesapuram road and reaches as Sheapuram then move along southern boundary of Shesapuram residential area then move towards north direction and reaches Krishnankoil –Watrap road and move along the same road till it touches sanctuary boudanry along the road then move in south east direction and north east end of the sirumlai then move along the eastern boundary of the sirumalai reaches south end of the same hillock; Then it touches Krishnkoil – Srivilliputur Road joint.
South East	Then and move along the same road till it reaches Pillaiyarnatham road and then move west direction along the Pillaiyarnatham road and reaches the north end of the Pillaiyarntham residential area then reaches the south east end of the Vellamadathu tank then move along the eastern boundary of the same tank and reaches north east corner of Thiruvannamalai revenue karadu then move towards the south direction along the east boundary of the same karadu and further move in south direction along the east boundary of Thiruvannamalai tank reaches south end of the same tank; then move in west direction and reaches north east end of the hillock located and east side of the Kolaikaranparai then move along eastern boundary of the same hillock reaches south east end of the same; then move towards southern direction and reaches north east end Kuttathattirenvenukardu move along the eastern boundary of the same karadu and reaches north east end of the Maravankulam tank then move along the east and south east boundary then reaches north east end of Valaikulam RF then move along eastern boundary of the RF further move southwards reaches the north east end Sappaniparambu RF then move along eastern boundary Sapaaniparabu RF and reaches south east end the same RF then further south direction and reaches north east corner of tank near ChinnaPulpathyparambu then move along the eastern boundary of the tank and adjacent tank and reaches the south end of the adjacent tank. Then move towards south west direction and reaches the northern end of Privadiyar tank then move along eastern boundary of the this tank and silambaneri tank and reaches the southeast end of the same tank; then move in south direction and reaches north west end of Devadanam tank.
South	Then move along north east boundary same tank and crosses DevadamSasthakoil road then move along the eastern boundary of the tank further run along south and south west boundary of the same tank then touches Devaiar river which is also inter district boundary then further move east direction along the same river it till it reaches south east end of the sanctuary.
South West	Nil
West	Nil
North West	Nil

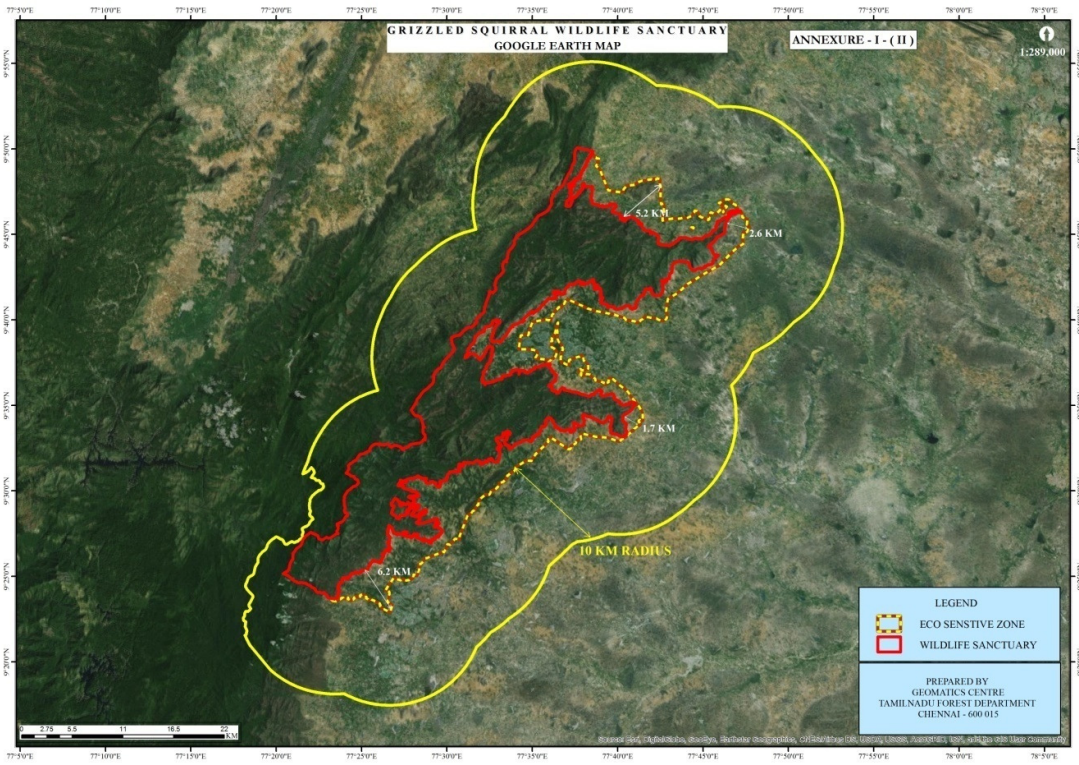
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY



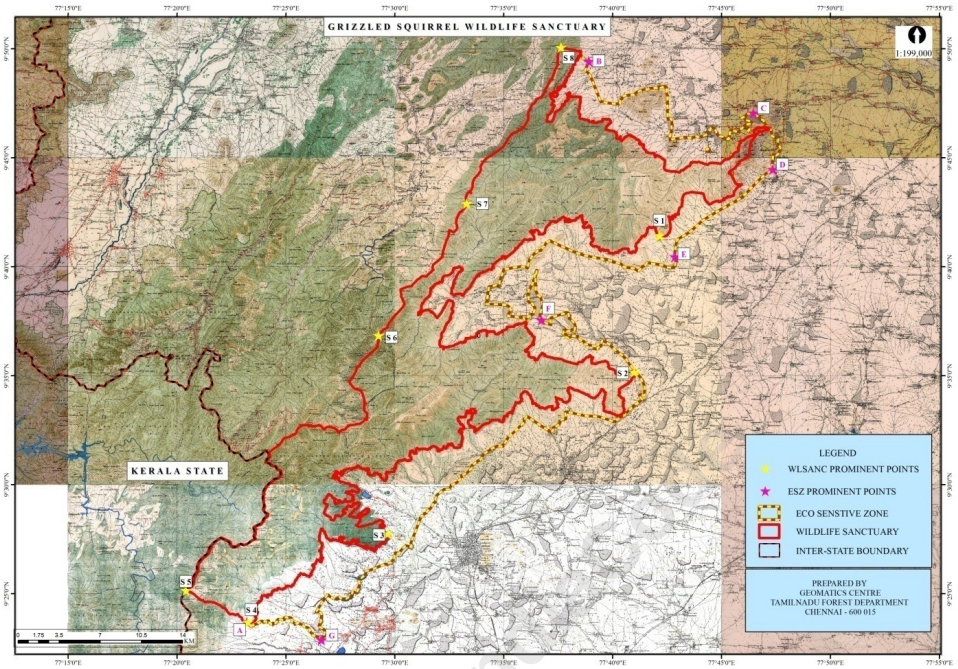
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY



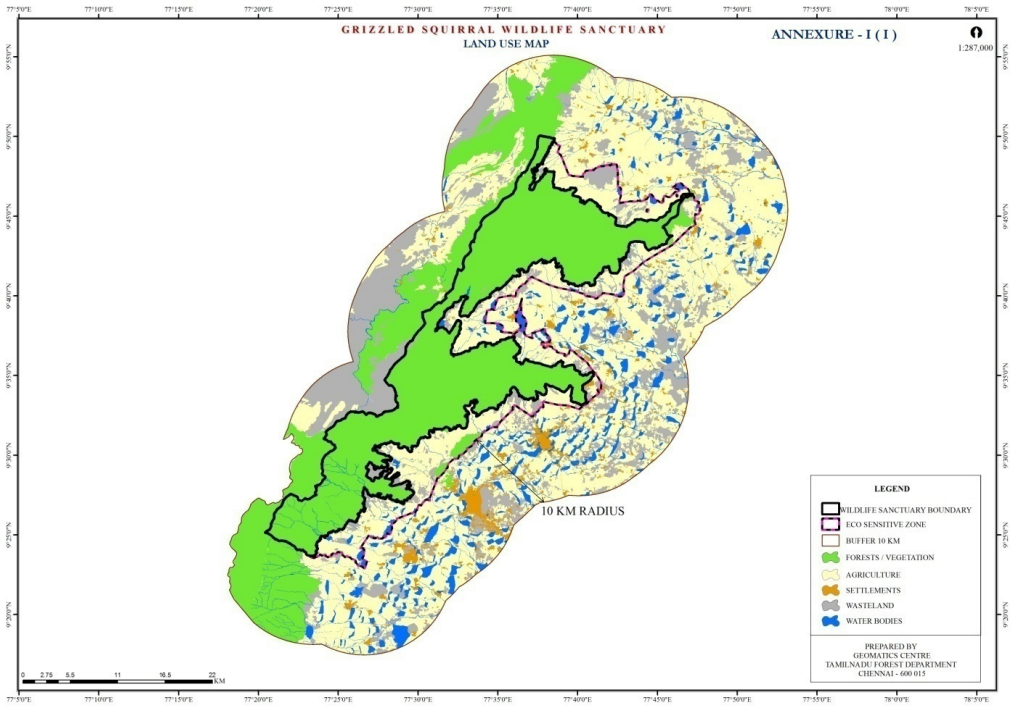
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



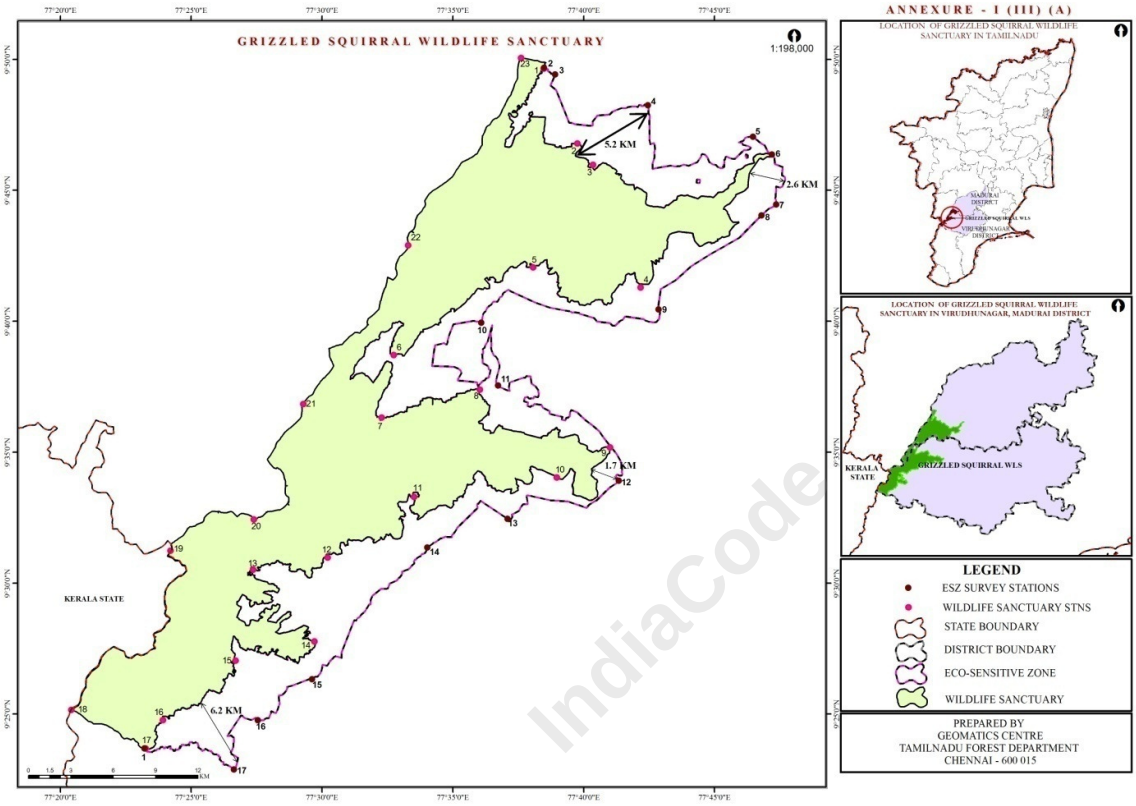
ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER



ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary, Tamil Nadu

S.No	Identification of prominent Point	Location/ Direction of prominent points	Latitude(N)	Longitude(E)	Distance from previous point	Bearings
1	Mallapuram Road Entrance	North	09^0 49’ 43.18”	77^0 38’ 18.37”		
2	Valaithoppu (Munneeswaranpuli)	North	09^0 46’ 47.39”	77^0 39’ 45.25”	5.98	153.69 SE
3	Keni Entrance	North	09^0 46’ 58.14”	77^0 40’ 21.40”	1.86	142.42 SE
4	TalaimalayanKoil	North east	09^0 41’ 17.16”	77^0 42’ 10.37”	9.17	159.65 SE
5	Thaniparai Entrance	North east	09^0 42’ 3.20”	77^0 38’ 3.84”	7.67	281.23 W
6	KilavanKoil	East	09^0 38’ 42.29”	77^0 32’ 44.23”	11.39	237.38 W
7	KaruppasamyKoil	East	09^0 36’ 19.30”	77^0 32’ 16.48”	4.44	190.87 S
8	Kalmandapam	East	09^0 37’ 23.20”	77^0 36’ 1.62”	7.09	73.19 NE
9	Muniyandikoil	East	09^0 35’ 10.79”	77^0 41’ 0.46”	9.88	114.67 SE
10	Rengarkoil waterhole	South east	09^0 34’ 2.03”	77^0 38’ 58.31”	4.11	239.31 SW
11	Alagarkoil Entrance	South east	09^0 33’ 17.42”	77^0 33’ 31.14”	10.08	261.76 W
12	Kallar river	South east	09^0 30’ 58.46”	77^0 30’ 12.60”	7.42	235.30 SW
13	Ayyanarkoil Entrance	South east	09^0 30’ 30.85”	77^0 27’ 21.64”	5.20	261.05 W
14	Thottichiammankoil	South east	09^0 27’ 35.94”	77^0 29’ 42.54”	6.45	139.49 SE
15	Piravadiyar river	South east	09^0 27’ 1.98”	77^0 26’ 41.75”	5.56	256.88 SW
16	Sasthakoivil Road	South	09^0 24’ 45.90”	77^0 23’ 54.70”	6.48	230.7 SW

	Entrance					
17	Deviyar	South	09^0 23' 40.67"	77^0 23' 15.29"	2.24	210.01 SW
18	Interstate Boundary Above Deviar estate	West	09^0 25' 9.08"	77^0 20' 24.83"	5.65	296.73 NW
19	Kottamalai Peak	West	09^0 31' 14.05"	77^0 24' 12.49"	12.90	32.56 N
20	Kambathumottai	West	09^0 32' 25.76"	77^0 27' 23.36"	6.07	68.02 NE
21	Thoppimalai	West	09^0 36' 50.29"	77^0 29' 16.62"	8.61	23.01 N
22	Panchanthangi	West	09^0 42' 53.82"	77^0 33' 17.14"	13.0	32.57 N
23	Sirangikal	North west	09^0 50' 2.98"	77^0 37' 36.08"	15.04	30.48 N

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S.No	Identification of prominent Point	Location/ Direction of prominent points	Latitude(N)	Longitude(E)	Distance from previous point	Bearings
1	MallapuramMayiludumarai road	North	09^0 49' 40.67"	77^0 38' 29.10"		
2	KarunkuliodaiValukuparaiodai joint	North	09^0 49' 25.75"	77^0 38' 54.69"	0.90	120.54 SE
3	Eathanamalai North end	North	09^0 48' 15.27"	77^0 42' 27.25"	6.8	108.54 SE
4	Athipattikanmai north end	North	09^0 47' 3.00"	77^0 46' 28.07"	7.74	106.32 SE
5	Saptur –Periyur Road Kanavai	North east	09^0 46' 22.10"	77^0 47' 11.94"	1.81	133.0 SE
6	Manmalai Near Periyur	North east	09^0 44' 27.74"	77^0 47' 21.44"	3.5	175.68 S
7	Gowarimalai West end	North east	09^0 44' 2.64"	77^0 46' 47.72"	1.29	234.28 SW
8	Ilanthaikulam tank north end	North east	09^0 40' 27.02"	77^0 42' 51.65"	9.68	227.67 SW
9	Nedunkutttum South west end	North east	09^0 39' 56.81"	77^0 36' 5.28"	12.42	266.08 W
10	Viragasamuthiram tank east end	North east	09^0 37' 33.11"	77^0 36' 43.44"	4.62	164.71 SE
11	Krishanankoil Junction	North east	09^0 33' 54.75"	77^0 41' 20.42"	10.61	128.30 SE
12	Thiruvanamalai South end	East	09^0 32' 27.27"	77^0 37' 5.33"	8.18	251.33 SW
13	Valaikulam north end	South	09^0 31' 21.85"	77^0 34' 1.42"	5.81	250.37 SW
14	Sundarajapuram tank south end	South	09^0 26' 26.07"	77^0 29' 36.70"	12.29	220.57 SW
15	Piravadiyar tank south west end	South	09^0 24' 45.88"	77^0 27' 32.42"	4.72	232.27 SW
16	Devadanam tank south end	South	09^0 22' 52.90"	77^0 26' 37.86"	3.75	203.69 SW
17	Deviar RF (joint) Boundary	South	09^0 23' 41.42"	77^0 23' 12.81"	6.39	283.73 NW

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No	Village name	Teshil / Taluka	District	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Mallapuram	Periyur	Madurai	09 82 54	77 64 24
2	Ayyampatti	Periyur	Madurai	09 80 37	77 63 25
3	Thullukuttinakiynur	Periyur	Madurai	09 78 65	77 66 25
4	Vittalpatti	Periyur	Madurai	09 77 34	77 67 95
5	Vandari	Periyur	Madurai	09 76 47	77 69 85
6	Nagaiyapuram	Peraiyur	Madurai	09.76 63	77.73 20
7	Saptur	Peraiyur	Madurai	09.76 82	77.73 81
8	Paraipatti	Peraiyur	Madurai	09.70 90	77.77 12
9	S.Keelapatti	Peraiyur	Madurai	09.69 92	77.76 12
10	Santhaiyur	Peraiyur	Madurai	09.70 20	77.75 19

11	Ayartharmam	Srivillputtur	Virudhunagar	09.67 49	77.73 26
12	Elanthaikulam	Srivillputtur	Virudhunagar	09.66 21	77.70 77
13	Kottaiyur	Srivillputtur	Virudhunagar	09.64 96	77.70 23
14	Thambipatti	Srivillputtur	Virudhunagar	09.65 85	77.66 80
15	Maharajapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09.65 66	77.66 37
16	S.Kodikulam	Srivillputtur	Virudhunagar	09.64 70	77.58 64
17	Khansapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09.62 81	77.60 38
18	Watrap	Srivillputtur	Virudhunagar	09.63 52	77.64 15
19	W.Pudupatti	Srivillputtur	Virudhunagar	09.61 50	77.63 82
20	Sundarapandiam	Srivillputtur	Virudhunagar	09.61 20	77.67 55
21	Poovani	Srivillputtur	Virudhunagar	09.53 96	77.67 47
22	Pillaiyarnatham	Srivillputtur	Virudhunagar	09.54 96	77.65 90
23	Theiventhiri	Srivillputtur	Virudhunagar	09.54 18	77.55 99
24	Mamsapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09 52 56	77 56 16
25	Valaikulam	Srivillputtur	Virudhunagar	09 51 72	77 52 13
26	Vaddukuvenganallur	Srivillputtur	Virudhunagar	09 50 14	77 47 65
27	Therukkuvenganallur	Srivillputtur	Virudhunagar	09 50 40	77 46 64
28	Thiruchulur	Srivillputtur	Virudhunagar	09 48 90	77 47 09
29	Sammanthapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09 48 44	77 48 82
30	Solaiseri	Srivillputtur	Virudhunagar	09 44 84	77 49 36
31	Sundararajauram	Srivillputtur	Virudhunagar	09 43 33	77 47 30
32	SeithurMettupatty	Srivillputtur	Virudhunagar	09 41 71	77 44 07
33	Muthusamyiapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09 41 03	77 43 78
34	North Devadanam	Srivillputtur	Virudhunagar	09 30 42	77 43 59
35	South Devadanam	Srivillputtur	Virudhunagar	09 39 67	77 43 41
36	Kovilur	Srivillputtur	Virudhunagar	09 39 15	77 43 36

Annexure –V

Eco-sensitive ZoneMonitoring Committee - Performa of Action Taken Report.—

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.05 19:14:24 +05'30'